



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 1984/ फाल्गुन 18, 1905

No. 103]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 8, 1984/PHALGUNA 18, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग संश्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1984

आदेश

का० आ०—154 (अ) :— विकास परिषद (प्रक्रिया) नियमावली, 1952 के नियम 2, 4, तथा 5 के साथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) भारत सरकार के आदेश सं० का० आ० 620 (अ), दिनांक 27 अगस्त, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त आदेश में, (1) क्रम सं०, 3, 4, 5, 8, 23 और 24 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायें, अर्थात्—

“3. श्री बी० एन छाबड़ा मद्रस्य”
श्रील इन्डिया फंडेशन आफ
मास्टर प्रिंटर्स

“4. श्री पी० एम० कृष्णन मद्रस्य”
श्रील इन्डिया स्माल पेपर मिल
एक्सोसिएशन

“5. श्री जे० एम० मथार, मद्रस्य”

“8. श्री एन० जे० जोशी मद्रस्य”
यनों के उप महा निरीक्षक
कृषि तथा सहकारिता विभाग

“23. डा० एम० चन्द्रशेखर मद्रस्य”
मद्रस्य, औद्योगिक यागत तथा मूल्य व्यूरो

“24. श्री वी० के० जानना, मद्रस्य”
संयुक्त सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग

(2) इस सं० 24 के बाद और उसे सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“25. श्री ए० एन० राव, मद्रस्य-सचिव”
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय

(3) टिप्पण में, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

श्री ए० एन० राव औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली, को एतद्वारा विकास परिषद के सचिव का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।”

[सं० 3 (45)/81-पेपर]

श्री० के० जानना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 8th March, 1984

ORDER

S.O. 154 (E) :— In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulations) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules, 2, 4, and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. So. 62 0(E) dated the 27th August, 1982, namely :—

In the said order, (i) against Sl. Nos. 3, 4, 5, 8, 23, and 24, for the existing entries, the following shall respectively be substituted, namely :—

- | | |
|--|---------|
| "3. Shri V.N. Chhabra
All India Federation of Master Printers | Member" |
| "4. Shri P.S. Krishnan
All India Small Paper Mills
Association | Member" |
| "5. Shri J.S. Matharu | Member" |

"8. Shri N.J. Joshi
Deputy Inspector General
of Forests
Department of Agriculture
and Co-operation. Member"

"23. Dr. S. Chandrasekhar
Member, Bureau of Industrial
Costs and Prices Member"

"24. Shri V.K. Chanana
Joint Secretary
Department of Industrial
Development Member"

(ii) after Sl. No. 24 and the entry relating thereto, the following shall be added, namely :—

"25. Shri A.N. Rao
Industrial Adviser
Directorate General of
Technical Development Member-Secretary"

(iii) in the note, the following paragraph shall be added, namely :—

"Shri A.N. Rao, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi, is hereby appointed to carry on the functions of the Secretary of the Development Council."

[No. 3 (45)/81-Paper]
V.K. CHANANA Jt. Secy